



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./प्रशा./एफ-24(ए)/2020/3070

दिनांक : 12.10.2020

कार्यालय ज्ञाप

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक/निदेशक/सचिव,  
समस्त सम्बद्ध (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित) महाविद्यालय।

**विषय:** गृह-मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 30 सितम्बर, 2020 कोविड-19 के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश (री-ओपेन)।

महोदय/महोदया,

कृपया मुख्य सचिव, गृह(गोपन) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2135/2020/सीएक्स-3 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि-


1. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासन के निर्देशानुसार ऑन-लाइन/दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जायेगा व इसे प्राथमिकता दी जायेगी।
2. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में केवल पीएच.डी. शोधार्थियों तथा परा-स्नातक के छात्रों जिनको विज्ञान एवं तकनीकी विधाओं में प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती है, को 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति होगी।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र संख्या-एम.जे.पी.रू.वि./एफ-24(ए)/2020/2205 दिनांक 03.09.2020 में जारी दिशा-निर्देश यथावत जारी रहेंगे।

  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. मीडिया प्रभारी।
4. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, प्रशासन/परीक्षा।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
7. वैयक्तिक सहायक- कुलसचिव।

  
कुलसचिव